राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या : 7/परीक्षा/सहा.वन.संरक्षक/वन विभाग/2011–2012/ **दिनांक : 20–09–2011**

सहायक वन संरक्षक प्रतियोगी परीक्षा, 2011

1. राजस्थान वन सेवा नियम 1962 के अन्तर्गत वन विभाग के लिए सहायक वन संरक्षक प्रतियोगी परीक्षा, 2011 के लिये निर्धारित **ऑन लाइन आवेदन पत्र (On Line Application form) आमंत्रित किए जाते है।**

विशेष नोटः–(1) **On line Application Form** में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

(2) आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

2. (क) **आवेदन प्रक्रिया** – आवेदन On line Application Form में लिये जाएंगे, जिन्हें **राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)** के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा **रुपये 40/– (रुपये 35/–** आवेदन–पत्र भरने हेतु + **रुपये 5/–** परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। आवेदक यदि स्वयं अपने स्तर पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरना चाहता है, तो वह **ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र** पर केवल परीक्षा शुल्क जमा कराकर आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.gov.in** से स्वयं आवेदन भर सकता है। इस स्थिति में उसे वहां परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु मात्र **रुपये 5/–** ही सेवा शुल्क देना होगा। ऑन–लाइन आवेदन–पत्रों को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेब–साइट पर उपलब्ध है। कियोस्क द्वारा आवेदन भरवाने पर आवेदक को रुपये 35/– की रसीद पृथक से कटवानी होगी। **हाथ से भरे गए आवेदन–पत्र किसी भी रूप में आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।**

(ख) परीक्षा शुल्क का ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग से भुगतान की सुविधा के लिए ई–मित्र पोर्टल पर आवश्यक कॉलम की पूर्ति करने के उपरान्त वहां से प्राप्त टोकन नम्बर को यथावत उसी प्रकार से आयोग के ऑनलाइन फार्म में भरें।

3. **प्रवेश–पत्र** –आयोग द्वारा समस्त ऑन लाइन आवेदनों में वेब–साइट के माध्यम से ही ऑन लाइन प्रवेश–पत्र जारी किए जाएंगे और आयोग द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश–पत्र नहीं भेजा जाएगा। वेब–साइट पर प्रवेश–पत्र जारी किए जाने की सूचना परीक्षा की तिथि तय होने के उपरान्त समाचार पत्रों एवं वेब–साइट के माध्यम से शीघ्र जारी की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र वेब–साइट से प्राप्त करने हेतु **आवेदन–पत्र कमांक** एवं जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) पर फीस जमा कराने का **टोकन नम्बर** ध्यान में रखें। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश–पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के **ई–मेल आई.डी. (e-mail ID)** एवं मोबाइल नंबर पर भी भेजी जा सकती है।

4. **परीक्षा शुल्क** – आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क **राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)** के माध्यम से आयोग को भेजेंः–

(क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु – **रुपये 250/–**

(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु– **रुपये 150/–**

(ग) समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदक हेतु– **रुपये 50/–**

नोट :–

1. ऑनलाइन आवेदन का निर्धारित सेवा शुल्क **रुपये 40/– (रु. 35/–** आवेदन पत्र भरने हेतु + **रुपये 5/–** परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) अतिरिक्त रूप में सभी को देने होंगे।
2. ऑनलाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन–पत्र का प्रारूप आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड कर लें और उसे ऑनलाइन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें। यह प्रारूप ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर निःशुल्क उपलब्ध होगा।
3. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट लेकर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गईं हैं।
4. आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ***ई–मित्र कियोस्क*** *तथा* ***जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)*** की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थी जहाँ ***ई–मित्र कियोस्क*** *तथा* ***जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)*** नहीं हैं वे आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध सूची से उनसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। उनकी सुविधा के लिए उनके दूरभाष नम्बर भी उपलब्ध हैं।

5. **सहायक वन संरक्षक के रिक्त पदों का विवरण –**

कुल पद	सामान्य पद				अनुसूचित जाति वर्ग				अनुसूचित जनजाति वर्ग				पिछड़ा वर्ग				विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC-1%)
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा (8 प्र.श.)	परित्यक्ता(2 प्र.श.)	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा (8 प्र.श.)	परित्यक्ता(2 प्र.श.)	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा (8 प्र.श.)	परित्यक्ता(2 प्र.श.)	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा (8 प्र.श.)	परित्यक्ता(2 प्र.श.)	
33	14	4	1	–	4	1	–	–	3	–	–	–	5	1	–	–	–

6. **शैक्षणिक योग्यता :**

1. भारत में केन्द्र या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित किसी अन्य शिक्षण संस्थान की या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम–1956 के खण्ड–3 के अधीन घोषित किसी माने गये विश्वविद्यालय की विज्ञान में स्नातक उपाधि जिसमें वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, भू–गर्भ शास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र में से कोई एक विषय होना चाहिए अथवा कृषि या इंजिनियरिंग में स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि (A candidate for direct recruitment to Junior Posts in Forestry wing of service must have a Bachelor's Degree in Science, with at least one of the subjects, namely, Botany, Chemistry, Geology, Mathematics, Physics and Zoology or Bachelor's degree in Agriculture, or in Engineering of any University incorporated by an Act of the Central or of the State Legislature in India or other educational Institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act 1956 (3 of 1956) or any equivalent degree from any Foreign University recongnised by the government.)
2. देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

आवश्यक नोट :– परन्तु यह कि उपरोक्त योग्यता के पाठ्यक्रम अन्तिम वर्ष की परीक्षा जो सीधी भर्त्ती के लिए नियमों या अनुसूची यथा उल्लिखित अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा की दिनांक तक शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा आवेदक अपात्र माना जावेगा।

क्रमशः.........

7. आयु :– आवेदक **1 जनवरी, 2012 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष का नहीं हुआ हो,**

परन्तु यह है कि –

''यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।''

नोटः– आयोग द्वारा वर्ष 1996 में इन पदों को विज्ञापित किए जाकर उनकी आयु सीमा की गणना 01.01.1997 को की गई थी। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधान अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2012 को अधिकायु के होते हैं उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देय होगी।

1. राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट होगी।
2. सामान्य वर्ग की महिला आवेदको के मामलों में 5 वर्ष की छूट होगी।
3. राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के मामलें में 10 की वर्ष की छूट होगी।
4. विभागीय सेवा में कार्यरत प्रशिक्षित रेंजर्स के लिए शासन द्वारा उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जा सकती है।
5. कैडेट इन्सट्रक्टर को अधिकतम आयु सीमा में उतने ही काल की छूट दी जायेगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी और यदि परिणामिक आयु अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।
6. भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पहले राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई तौर पर कार्य कर चुके हो और नियमानुसार नियुक्ति के लिए पात्र थे, उनके लिए उपयुक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
7. राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (Substantive) रुप से सेवारत व्यक्तियों के मामलों में 40 वर्ष तक होगी तथा पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में स्थाई रुप सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
8. अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
9. रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड आफिसर/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड सेवा में कमिशन ग्रहण करते यदि इस पद के लिये इस प्रकार पात्र थे तो सेवा से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों पात्र समझा जावेगा।
10. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्ति व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जावेंगे।
11. विधवाओं एवं विछिन्न विवाह महिलाओं के मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी। **स्पष्टीकरण** विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विवाह विछिन्न का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

नोट –(क) उपरोक्त पैरा के प्रावधान 1 से 11 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(ख) यदि जिस आरक्षित वर्ग में महिलाओं के पद आरक्षित नहीं होंगे उन्हें आयु सीमा की छूट उसी वर्ग के पुरूष को देय छूट के अनुसार ही देय होगी।

(ग) यदि अजा/अजजा/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की विधवा/परित्यक्ता महिलाओं के लिए पद आरक्षित नहीं है तो उन विधवा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों को उक्त प्रावधान के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी।

8. आवेदन पत्र प्राप्ति का अन्तिम दिनांक – **अन्तिम दिनांक 16 अक्टूबर, 2011 को रात्रि 12.00 बजे तक (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।)** आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑन लाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑन लाईन आवेदन करें।

9. परीक्षा का माह एवं दिनांक – **परीक्षा माह नवम्बर/दिसम्बर** में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर अथवा आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर सम्भागीय जिला मुख्यालयों पर ली जाने की संभावना है। परीक्षा दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है। अतः आवेदक किसी एक परीक्षा केन्द्र के जिले का नाम भरे।

10. The Scheme & Syllabus for the competitive examination for the post of Assistant Conservator of Forests:-

1. A candidate for the Rajasthan Forest Service must take all the compulsory subjects and **Any Two** of the optional subjects listed below. The time allowed for each paper shall be **Three** hours.

(I) Compulsory subects:	**Marks**
(1) General Knowledge	100
(2) General English	100
(3) Mathematics (Higher Secondary/Matriculation or equivalent standard).	100

(II) Optional subjects: (100 Each)

(1) Botany
(2) Zoology
(3) Mathematics
(4) Chemistry
(5) Physics
(6) Geology
(7) Mechanical Engineering
(8) Agriculture
(9) Civil Engineering
(10) Chemical Engineering
(11) Statistics

100 Each

नोटः– सामान्य अंग्रेजी (General English**) का पेपर वर्णनात्मक प्रकार (**Descriptive Type**) का होगा। शेष सभी पेपर (** General Knowledge, Mathematics and any two of the Optional subjects**) वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) के होगें। इनमें प्रत्येक प्रश्न–पत्र में प्रश्नों की संख्या 200 तथा प्रत्येक प्रश्न 1/2 अंक का होगा।**

SCOPE OF PAPER

Compulsory subjects

1. General Knowledge Includes knowledge of current events and of such matters of every day observation as may be expected of an educated person who has not made a special study of any specific subject. Questions on Indian History and Geography with special reference to Rajasthan may be included.

2. General English The paper will be set to test the candidate's proficiency in the language besides in essay to be written in English on one of the several specified subjects, it may include translation from Hindi to English, precis writting and use of idoms etc."

3. Mathematics Mathematics of Matriculation standard and Algebra of Intermediate standard.

Optional subjects

Subject	Syllabus
1. Botany	Morphology, Physiology and Life histories of the Gryptograms and Gymnosperms, Life histories of Angiosperms, General Plant Physiology, Ecology, Evolution, Variation and Heredity, Economic botany.
2. Zoology	Non-Chordata, cell and tissue, the subjects of Reproduction and Histology, General Principles of Evolution, Chordata, Elementary facts about Embryology, Physiology, Geological and Geographical distribution.
3. Geology	Dynamical and Structural Geology, Palaeontology, Historical Geology, Crystallography, Mineralogy, Petrology and Economic Geology.
4. Chemistry	Inorganic, Organic and Physical Chemistry.
5. Physics	General Properities of Matter, Sound, Heat, Light, Electricity and Magnetism.
6. Agriculture	Agronomy, Animal Husbandry and Dairy, Horticulture, Agricultureal Economics, Farm Management and Extension.
7. Mech. Engineering	Theory of Machines II, Heat Engines IV, Mechanical Engineering, Design, Power Plant Engineering, Engineering Production and Metrology, Industrial Organistion and Management.
8. Mathematics	Degree Standard.

9. Civil Engineering

1. Building material and Properties and strenght of materials:- Building materials-Timber, Stone brick, lime, files and surkhi, mortar and concrete metal and glass-Structural properties of metals and alloy used in engineering practice.

Stresses and strains- Hooke's law-bending. Torsion and direct stresses. Elastic theory of bending of beams-maximum and minimum stresses due to eccentric loading. Bending moment and Shear force diagrams and deflection of beams under static and live loads.

2. Building construction and Water Supply and Sanitary engineering:- Construction-Brick and Stone masonary; walls, floors and roofs, staircases, carpentry in wooden floor, roofs, ceilings, doors and windows, finishes(plastering painting, painting and warnishing etc.).

Soil mechanics-Soils and their investigation, Bearing capacities and foundations of building and structures-Principles of design.

Building estimates-Principles, units of measurement; Taking out quantities for building and preparation of abstract of cost-specifications and data sheets for important items.

Water supply-Sources of water, standards of purity, methods of purification, layout of distribution system, pump and boosters.

Sanitation-Sewers, storm water; overflows, house drainage, requirements and appurtenances, spetic tanks, Imhoff tanks, sewage, treatment and dispersion trenches-Activated sludge process.

3. Roads and bridges:- Survey and alignment- Highway materials and their placement-Principles of design-width of foundation and pavement, camber, gradient, curves and super-elevation-Retaining walls.

Construction-Earth roads stabilized and water bound macadam roads, Bituminous surfaces and concrete roads, drainage of roads, Bridges-Types, economical spans, I.R.C. loading, designing super-structure of small span bridges-Principles of designing foundation of abutments and pillers of bridge, pile and well foundation.

Estimating Earthwork for roads and canals.

4. Structural Engineering. :-

Steel structures-Permissible stresses, Design of beams, simple and build-up columns and simple roof trusses and girders column bases and grillages for axially and eccentrically loaded columns-Bolted rivetted and welded connections.

R.C.C. structures-Specifications of materials used-proportioning workability and strenght requirement. I.S.I. standards for design loads, permissible stress in R.C.C. members subject to direct and bending streses, Design of simply supported, overhanding and cantilever beams, rectangular and Tee beams in floors, roofs, and linters-addilly loaded columns; their bases;

10. Chemical Engineering

1. Transport phenomena(under steady state conditions):-

(a) Momentum transfer-(i) Different patterns of flow and their critera-
(ii) Velocity profile.
(iii) Filtration, Sedimentation centrifuge;
(iv) Flow of solids through fluids.
(b) Heat tranfer-Different modes of heat transfer:
Conduction- Calculation for single and composite walls of flat, cylindrical and spherical shapes.
Convection- Different dimensionless groups used in forced and free convection. Equivalent diameter. Determination of individual and overall heat transfer co-eff.

Evaporation-Radiation-Stefan-Boltzman law. Emmissivity and absorptivity. Geometrical Shapes factor.

Head load of furnaces-calculation.

(c) Mass transfer-Diffussion in gases and liquids, Absorption, despersion humidification, dehumidification, drying and distillation. Analogy between momentum, heat and mass and transfer.

2. Thermodynamics:-(a) 1st, 2nd and 3rd Laws of thermodynamics.

(b) Determination of internal energy, entropy, enthalpy and free energy-Determination of Chemical equilibrium constants for homogeneous and heterogeneous systems. Use of thermodynamics in combustion, distillation and heat transfer, Mechanism and theory of mixing, various mixers for liquid-liquid, solid-liquid and solid-solid.

3. Reaction Engineering:- (i) Kinetics: Homogeneous and heterogeneous reactions Ist and 2nd order reactions.

Batch and flows- Reactors and their design.

(ii) Catalysis-Choice of catalysts-preparation.

mechanics of catalysts based upon mechanism.

4. Transportation:- Storage and transport of materials and in particular powders, resins, volatile and non-volatile liquids, emulsions and dispersions, pumps, compressors and blowers. Mixers-Mechanism and theory of mixing various mixers for liquid-liquid solid-liquid solid-solid.

5. Materials:- Factors that determine choice of materials of construction in chemical industries, Metals and Alloys, ceramic, plastics and rubbers. Timber and timber products, Ply-wood laminates;

Fabrication of equipment with particular reference to production of vats, Barrels, filter presses etc.

6. Instrumentation and process control:- Mechanical, hydraulic, pneumatics, thermal optical, magnetic, electrical and electronic instruments. Controls and control systems. Automantion.

11. Statistics

1. Frequency distributions-averages percentiles and simple methods of measuring, dispersion, graphic methods, treatment of qualitative data e.g. investigation of association by comparison of ratios, the practice of graphic and algebric methods of interpolation.
2. Practical methods used in the analysis and interpretation of statistics of prices, wages and income, trade, transport, production and consumption, education etc. methods of dealing with population and vital statistics, miscellaneous methods used in handling statistics of experiments observations.
3. Elements of modern mathematical theory of statistics, frequency curves and the mathematical represention of groups generally of accuracy sampling as affecting averages, percentages, the standard deviation, significance of observed differences between averages of groups etc. theory of co-relation for two variables.

<u>विशेष सूचना</u> :–

1 महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा ।

A **स्पष्टीकरण : किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछडा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। पिछड़ी एवं विशेष पिछड़ी जाति की विवाहित महिला आवेदक को <u>अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी नॉन क्रीमीलेयर का नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तो ही आरक्षण का लाभ देय होगा अन्यथा नही।</u> पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।**

B **महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में से नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विच्छिन्न विवाह महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य सामान्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।**

2 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ पिछड़ा एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद केवल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ पिछड़ा एवं विशेष विछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी है से ही भरे जायेगें । **राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी नहीं होने पर आवेदक को सामान्य वर्ग का माना जावेगा ।**

3 अ0जा0/अ0ज0जा0 के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इनके आरक्षित पदों को सामान्य/ पिछड़ा एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जायेगा । राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपब्लब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जायेगा ।

4 विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित **पदों की संख्या में कमी या बढोत्तरी** की जाती है तो जिसके लिये अलग से कोई सूचना/शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जावेगा ।

5 ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1–6–2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक सन्तान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगाः

परन्तु दो से अधिक सन्तानों वाला अभ्यर्थी तब तक नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक उसकी सन्तानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोत्तरी नहीं होती है :

परन्तु यह और कि जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से एक ही सन्तान है किन्तु पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक सन्तानें पैदा हो जाती हैं वहाँ सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई सन्तानों को एक इकाई समझा जायेगा ।

परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

6 पेंशनः– नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमाानुसार दिनांक 1–1–2004 से अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी ।
ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्य भार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, सम्बन्धित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलता पूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जाएगा। प्रारम्भिक वेतन वृद्धि/उच्च वेतनः नहीं। **<u>पद का वेतनमान रनिंग पे बेण्ड सं. –2 (15600 – 39100 रू.) ग्रेड पे रू. 5400 मासिक नियत पारिश्रमिक नियमानुसार</u>।**

7 आवेदक के विवाहित होने की सूरत में आवेदन पत्र में पति/पत्नि के नाम का उल्लेख करना तथा विवाह पंजियन प्रमाण पत्र या विवाह पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में शपथ पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है ।

11. <u>अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में</u> :– सभी आवेदक चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपकमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, अपने आवेदन पत्र आयोग को सीधे ही भेजने चाहिये । आयोग कार्यालय में अन्तिम दिनांक के पश्चात पहुंचने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे भले ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र अपने नियोक्ता को अन्तिम दिनांक के पूर्व प्रस्तुत किया गया हो । जो आवेदक पहले से कार्यरत है उन्हे अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये यदि नियोक्ता द्वारा आयोग को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने का सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरंत प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है ।

12. <u>नियुक्ति के लिये अयोग्यता</u> :–

1. किसी भी ऐसे पुरूष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
3. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1–6–2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक सन्तानें हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगाः

   परन्तु दो से अधिक सन्तानों वाला अभ्यर्थी तब तक नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक उसकी सन्तानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोत्तरी नहीं होती है :

   परन्तु यह और कि जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से एक ही सन्तान है किन्तु पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक सन्तानें पैदा हो जाती हैं वहाँ सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई सन्तानों को एक इकाई समझा जायेगा ।

   परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नही की जाएगी।
4. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22.5.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।
5. किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नही माना जावेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।

6. आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।

13. <u>आवेदन कैसे करें</u> :–

अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट – राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमिलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर एवं नॉन क्रीमिलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते है। अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी के रूप में ही आवेदन प्रस्तुत करें

<u>कृपया ध्यान दें</u> :–

1. ऑन लाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक प्राप्त होने पर स्वीकार किया जाएगा। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व यह सूनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्त पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में आयोग द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑन लाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

2. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व आयोग के विज्ञापन एवं ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देशों के साथ–साथ संबंधित सेवा नियमो का अध्ययन कर लें।

3. आयोग कार्यालय द्वारा ऑन लाइन आवेदन पत्र भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही आवेदक की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑन लाइन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑन लाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में अन्तिम दिनांक के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नही दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाएगा।

4. आवेदकों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन मय पाठ्यक्रम के राजस्थान रोजगार सन्देश के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं आयोग की वेबसाईट **www.rpsc.gov.in या rpsconline.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है ।

<u>विशेष टिप्पणी</u> :–

(1) परीक्षार्थी परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात 72 घण्टे में (तीन दिवस) के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन/शिकायत स्पीड पोस्ट के माध्यम से सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को प्रस्तुत कर दें। नियत समय में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/शिकायत पर आयोग द्वारा यथोचित कार्यवाही की जावेगी। तीन दिवस के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।

(2) कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आएं। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए आवश्यक जैसे पेन, पेंन्सिल, प्रवेश–पत्र या आयोग द्वारा निर्देशित सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य अनावश्यक वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान लोक सेवा आयोग किसी की भी नहीं होगी।

(3) जिस परिसर के भीतर भर्ती परीक्षण आयोजित किया जा रहा है, वहां मोबाइल फोन, पेजर्स या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित उम्मीदवार के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

(4) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे भर्ती परीक्षण स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर्स सहित प्रतिबंधित वस्तुएं साथ नहीं लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित् नहीं की जा सकती है।

नोट :–

1. आवेदक जिनके आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा । परीक्षा में केवल मात्र उसे प्रवेश पत्र जारी करने से यह मतलब नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियॉ आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं । आयोग द्वारा उम्मीद्वार की पात्रता की जांच करते समय अथवा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग एवं अन्य शर्ते आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी ।
2. आवेदक राजस्थान वन सेवा नियम, 1962 के नियमानुसार अपात्र पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है ।
3. आयोग द्वारा परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की गाइड बुक आदि का अनुमोदन नहीं किया गया है । परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वैब–साइट **www.rpsc.gov.in या rpsconline.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है ।
4. श्रुत लेखक की सुविधा :– सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न–उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 में वर्णित ऐसे निःशक्त व्यक्ति जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ है , उन्हें आयोग कार्यालय को परीक्षा दिनांक से 15 दिन पूर्व तक प्रार्थना पत्र वांछित प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा श्रुत लेखक की सुविधा देय होगी परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी ।
5. अनुचित साधनों की रोकथाम :– परीक्षार्थियों को आयोग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों को अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझें कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत एवं आयोग द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting to use unfairmeans during the course of examination" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती हैं। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाईट पर दी गई है।

14. **<u>आयोग की वेबसाइट</u> :–** उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट www.rpsc.gov.in **या** rpsconline.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं0 0145–5151200, 5151240 एवं 5151302 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाये ।

(डॉ. के.के. पाठक)
सचिव

क्रमांक : प.6(8)/परीक्षा 'क'/ACF/वन विभाग/2010–2011/ **दिनांक– 20.09.2011**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप शासन सचिव, वन विभाग, जयपुर, राजस्थान (पत्र क्रमांक :– प12(11) वन/2005/पार्ट/दिनांक 18.02.11 एवं 02.08.11)
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर को उक्त विज्ञापन की प्रतियां प्रेषित करते हुए राजस्थान **रोजगार संदेश, जयपुर के संस्करण दिनांक 01.10.2011 के अंक में** केवल एक बार प्रकाशित कराने हेतु भेजा जाता है। जिस पत्र के साथ विज्ञापन उक्त समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु भेजा जाये उसकी एक प्रति कृपया आयोग कार्यालय को सूचनार्थ पृष्ठांकित करें साथ ही विज्ञापन प्रबन्धक से कृपया अनुरोध करें कि वे प्रकाशित विज्ञापन की एक प्रति (निःशुल्क) अनुभाग अधिकारी, विज्ञापन अनुभाग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सीधे ही भेजें ताकि प्रकाशित सामग्री की जांच की जा सके ।
6. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ ।
7. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को विज्ञापन (केवल एक बार) राजस्थान राजपत्र में प्रकाशनार्थ ।
8. उप शासन सचिव, समाज कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
9. डायरेक्टर जनरल, रिसेटलमेन्ट सुरक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
10. पंजीयक, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
11. मुख्य सम्पादक, सचिवालय संदेश, कमरा नम्बर – 85–बी, सचिवालय, जयपुर को विज्ञापन निशुल्क प्रकाशित करने हेतु ।
12. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
13. प्रमुंख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, जयपुर।
14. सिल्वर टच टेक्नोलोजीज् लिमिटेड, अहमदाबाद (कैम्प ऑफिस आरपीएससी, अजमेर)।
15. राज कॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड (आर.आई.एस.एल.), प्रथम तल सी ब्लॉक, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005

परीक्षा नियंत्रक